अक्षित प्रताप **बनाम** सुरेन्द्र कुमार आदि
अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 49 सन् 2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024/164

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.06.2025	अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा संशोधित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर की गई बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा संशोधित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अर्ज किया कि प्रार्थी के दादा मोहनलाल के द्वारा वादगत 1.430 हैक्टेयर भूमि की वसीयत दिनांक 15.04.2022 को अक्षित प्रताप व नरेन्द्र कुमार के पक्ष में निष्पादित की गई है। अप्रार्थीगण ने जानबूझकर उक्त वसीयत की जानकारी होने के बावजूद भी प्रार्थी व नरेन्द्र कुमार का हक मारने की नीयत से उक्त दस्तावेज छुपा लिये तथा भूमि का विरास्तन नामान्तरण दर्ज करवाने के लिए आवेदन कर दिया। इसलिए चक 21 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 133/115 के मुरब्बा नम्बर 4 की कुल 1.430 हैक्टेयर भूमि की मूलवाद के निर्णय तक मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने के आदेश दिए जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मोहन लाल की मृत्यू के उपरान्त उक्त 1.430 हैक्टेयर भूमि का विरास्तन नामान्तरण उनके वारिसान अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज हो चुका है। प्रार्थी के द्वारा फर्जी व कूटरचित वसीयत के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जो खारिज किए जाने योग्य है। लिहाजा वादगत भूमि में से प्रार्थी को कोई हक व हिस्सा प्राप्त होना है या नहीं यह मूलवाद में साक्ष्य से तय होना है। अतः हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में बनना प्रतीत होते है। प्रार्थी/वादी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर अस्थायी व्यादेश बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय का पारित किया जाता है कि वे चक 21 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 133/115 के मुरब्बा नम्बर 4 की कुल 1.430 हैक्टेयर भूमि की ताफैसला वाद मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)	